UPHR010022532024

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, हरदोई।

दाण्डिक निगरानी सं०–42/2024

<u>शान्ते आदि बनाम रामनरेश आदि</u>

<u>दिनांक–28–05–2024</u>

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण शान्ते आदि के विद्वान अधिवक्ता की ओर से प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 24 जा०दी० प्रस्तुत करते हुए तर्क किया गया है कि सिविल जज जू०डि० पूर्वी में शान्ते बनाम रामनरेश आदि दीवानी वाद सं०–834/2023 विचाराधीन है। उक्त न्यायालय रिक्त होने के कारण वाद की कार्यवाही नहीं हो पा रही है। अतः उक्त वाद को किसी अन्य न्यायालय में अंतरित किये जाने की याचना की गयी है।

संबंधित न्यायालय से आख्या आहूत की गयी, जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि उक्त वाद सिविल जज जू०डि० पूर्वी के न्यायालय में लम्बित है।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया। आधार पर्याप्त है। उक्त वाद सं० –934/2023 शान्ते बनाम रामनरेश आदि विधि अनुसार निस्तारण हेतु न्यायालय सिविल जज जू०डि० पश्चिमी, हरदोई के न्यायालय में विधि अनुसार निस्तारण हेतु अंतरित किया जाता है।

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश,
हरदोई।

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2024.05.28 16:27:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court